

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9473

दिनांक - 05.12.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 उमीदेवी पत्नि चौखाराम वगैराह जाति जाट निवासी दौलोणियों की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 अर्जुनराम पुत्र खेताराम वगैराह जातियान जाट निवासी लुखों का तला, सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 368/2025

दिनांक- 26/11/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लुखों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 450 रकबा 14.8358 हैक्टर, खसरा संख्या 451 रकबा 0.0890 हैक्टर, खसरा संख्या 467 रकबा 9.8662 हैक्टर, खसरा संख्या 1004/444 रकबा 5.2852 हैक्टर, खसरा संख्या 1005/444 रकबा 5.2852 हैक्टर व भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9474 - 9477

दिनांक- 05.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण उमीदेवी पत्नि चौखाराम वगैराह जाति जाट निवासी दौलोणियों की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अर्जुनराम पुत्र खेताराम वगैराह जातियान जाट निवासी लुखों का तला, सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी, रा

